

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक फा.1(121)सविशा/प्रोसे/02/पार्ट-4/के.पाटन

दिनांक: 23-6-11

आदेश

सहकारी विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.3.2010 के द्वारा श्रीकेशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल लि. बुन्दी, श्रीगंगानगर कोटन काम्प्लेक्स लि. श्रीगंगानगर, स्पिनफैड, जयपुर, एवं तिलम संघ, जयपुर के कर्मचारियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, सहकारिता विभाग एवं अन्य संस्थाओं में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ है. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.3.2011 तक बढ़ाई गई थी, इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा एक वर्ष और (31.3.2012 तक) का वृद्धि किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि में वित्त विभाग के परिपत्र सं.1(2)वित्त/नियम/2003/पार्ट दिनांक 17.2.2007 एवं 3.2.2010 (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

उक्त आदेश वित्त विभाग के आई.टी. नं. 101100412 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई-12/एम/केपा(14)पार्ट-II/2011/524

दिनांक 23-6-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राज. जयपुर।
उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग राज. जयपुर।
उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राज. जयपुर।
वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन राजस्थान।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
वसायक केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा
री, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट
अपडेट करें।
पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर